



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48640

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6270/2026

फुलवन्ती

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार कन्नौजिया, आशुतोष कुमार निषाद, भृगुराम जी,
प्रभात कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता ने नायब तहसीलदार, पडरौना, जिला- कुशीनगर द्वारा दिनांक 16.06.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।
2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वर्तमान रिट याचिका को 'आगे न बढ़ाने' के आधार पर खारिज कर दिया जाए, और उन्हें बेहतर तथ्यों तथा दस्तावेजों के साथ एक नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।
3. की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
4. रिट याचिका को, प्रार्थना के अनुसार दी गई स्वतंत्रता के साथ, खारिज किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उस आदेश की प्रमाणित प्रति लौटा दे, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है; ऐसा करने से पूर्व, कार्यालय उस आदेश की एक फोटो-प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रख ले।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

10 मार्च, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”